

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र० की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-04.08.2023 द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार जनपद मऊ की 354, घोसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक-05.09.2023 को मतदान निश्चित किया गया है।

अतः मतदान की तिथि दिनांक-05.09.2023 को परिषद द्वारा करायी जाने वाली परीक्षा को निम्नानुसार पुनः निर्धारित किया जाता है।

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	संशोधित तिथि एवं समय	
		पूर्व निर्धारित तिथि	संशोधित तिथि
1	इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आर.ए.सी., रेडियो एण्ड टी.वी. मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन प्रथम वर्ष एवं सीविंग टेक्नोलाजी, कारपेन्टर, प्लम्बर, आर्मेचर वाइन्डर, हेयर एण्ड स्किन केयर, वेल्डर, कोपा, मैके. डीजल इंजन, फैशन डिजाइन एण्ड टेक्नोलाजी की इम्प्लायबिलिटी की परीक्षा।	05.09.2023 को प्रथम पाली में	09.09.2023 दिन शनिवार को प्रथम पाली में
2	इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आर.ए.सी., रेडियो एण्ड टी.वी. मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन द्वितीय वर्ष की इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा।	05.09.2023 को द्वितीय पाली में	08.09.2023 दिन शुक्रवार को द्वितीय पाली में
3	एडवांस टेलरिंग की पैटर्न कटिंग की परीक्षा।	05.09.2023 को प्रथम पाली में	08.09.2023 दिन शुक्रवार को प्रथम पाली में
4	टेलरिंग एण्ड एलाइड क्राफ्ट कोर्स की मशीन की कढ़ाई सैद्धान्तिक एवं हाथ की कढ़ाई सैद्धान्तिक की परीक्षा।	05.09.2023 को क्रमशः प्रथम व द्वितीय पाली में	19.09.2023 दिन मंगलवार को क्रमशः प्रथम व द्वितीय पाली में

(पीके०मिश्रा)
सचिव

कार्यालय-सचिव, औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र०, मोहान रोड, लखनऊ।

पत्र संख्या-~~सौ~~ 1336 /संशोधित कार्यक्रम/2023-24

दिनांक- 24.08.2023

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण उ०प्र०, लखनऊ।
2. उपनिदेशक/योजनाधिकारी, निदेशालय समाज कल्याण उ०प्र०।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) जनपद, आगरा, प्रयागराज, अम्बेडकरनगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, अयोध्या, उन्नाव, शाहजहाँपुर, झाँसी अलीगढ़, आजमगढ़, मऊ, एवं वाराणसी लखनऊ, महोबा, फिरोजाबाद, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र, जालौन, चन्दौली, इटावा, मथुरा, मुरादाबाद, एवं सम्भल, गोरखपुर, रामपुर, जौनपुर, बलिया, कानपुर-नगर, बिजनौर, प्रतापगढ़ एवं जे०पी० नगर।
4. समस्त प्रधानाचार्य विभागीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थान को इस आशय से कि उपरोक्त संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
24/8/23